**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू**
**पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर०ए०एस०**

| नम्बर मुकदमा | किस्म मुकदमा | दायरा तिथि | निर्णय तिथि |
|---|---|---|---|
| 31/2019 | धारा 136 LRA एवं धारा 151 CPC एक्ट | 15.029.08.2019 | 11.10.2019 |

किशनसिंह पुत्र नानूसिंह जाति राजपूत निवासी चलकोई बीकान तह0 व जिला चूरू
—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA एवं 151 CPC एक्ट

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA एवं 151 CPC का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 465/396 रकबा 0.2466 हैक्टेयर भूमि रोही चलकोई बीकान तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार है। उपरोक्त भूमि प्रार्थी की एकमात्र खातेदारी वा उपयोग उपभोग की भूमि चली आ रही है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के संलग्न है। यह कि कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 135 तादादी 40 बीघा रोही चलकोई बीकान प्रार्थी के पूर्वजों की कृषि भूमियां रही है, जिसके बाद उक्त भूमि में से प्रार्थी के पूर्वजों ने इस भूमि में से बुधाराम पुत्र रामदास जाति कामड़िया निवासी चलकोई बणीरोतान को 9/10 हिस्सा भूमि विक्रय कर दी थी वा शेष 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थी के पूर्वज नानूसिंह के खातेदारी की चली आ रही थी। यह कि सन् 1996 में चूरू से तारानगर जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग बनाया गया, जिसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग में आने वाली भूमियों में राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्त की गई वा निर्धारित दर से मुआवजा भी दिया गया इस क्रम में जब मुख्य सड़क मार्ग चूरू से तारानगर जाने वाला मार्ग गांव चलकोई बीकान से गुजरा तब प्रार्थी वा अन्य सह खातेदारान की उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 रोही चलकोई बीकान भी उक्त सड़क के मार्ग में आयी इस खसरे से भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 01 बीघा भूमि अवाप्त की गई। अवाप्ति के फलस्वरूप दिया जाने वाले मुआवजे के आदेश वा प्रार्थी के पूर्वजों के उक्त कृषि भूमि में से 01 बीघा भूमि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड कायम किया गया है उक्त इतकाल सं. 124 दिनांक 13.06.1996 की प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र हाजा के साथ संलग्न है। जिसके मुताबिक उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 274/135 तादादी 1 बीघा का रकबा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से कायम किया गया वा खसरा नम्बर 273/135 तादादी 39 बीघा भूमि का रकबा प्रार्थी के पूर्वजों वा अन्य सहखातेदारों के नाम से कायम किया गया जिसकी प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि उक्त साबिक खसरा नम्बर 135 तादादी 40 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि अवाप्त के पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तहसीलदार चूरू के मार्फत राजस्व अधिकारियों वा कर्मचारियों द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के सड़क मार्ग का अंकन करने के लिए राजस्व रिकार्ड वा नक्शा में सड़क का अंकन कर नक्शा तरमीम किया गया जिसके मुताबिक प्रार्थी के पूर्वजों की शेष कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 सड़क मार्ग जाने से दो भाग में विभाजित हो गया जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 273/135 तादादी 35 बीघा रोही चलकोई तरमीम के समय सड़क से पश्चिम में तरमीम की गई वा खसरा नम्बर 299/135 तादादी 04 बीघा भूमि सड़क के पूर्वी तरफ तरमीम किया गया है जो राजस्व रिकार्ड सर्वथा गलत वा वास्तविक स्थिति से बिल्कुल उलट बनाया गया है जो कतई सही नहीं रहा है जिसे नियमानुसार दुरूस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि साबिक खसरा नम्बर 135 तादादी 40 बीघा भूमि में से 1 बीघा भूमि अवाप्ति के पश्चात 1 बीघा भूमि का रकबा खसरा नम्बर 274/135 तादादी 1 बीघा भूमि रोही चलकोई बीकान बनाया गया वा राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारी वा कर्मचारियो द्वारा बिना मौके पर साबिक खसरा नम्बर 135 की पैमायश किये ही सरसरी तौर पर मौके की स्थिति के विपरीत राजस्व रिकार्ड वा नक्शा आदि में खसरा नम्बर 273/135 तादादी 35 बीघा रोही चलकोई तरमीम के समय सड़क से पश्चिम मे तरमीम की गई वा खसरा नम्बर 299/135 तादादी 04 बीघा भूमि सड़क के पूर्वी तरफ तरमीम किया गया है, जो राजस्व रिकार्ड सर्वथा गलत वा वास्तविक स्थिति से बिल्कुल उलट कायम हो गया जबकि सही तथ्य यह है कि साबिक खसरा नम्बर 135 तादादी 40 बीघा रोही चलकोई बीकान तहसील चूरू का राजस्व रिकार्ड वा नक्शा में तरमीम मौके पर सड़क हेतु भूमि अवाप्ति के पश्चात मौके पर सड़क से पूर्वी तरफ मौके पर भूमि का रकबा 07 बीघा 18 बिश्वा साबिक खसरा नम्बर 135 की शेष बचती है तथा सड़क से पश्चिमी तरफ की 31 बीघा 02 बिश्वा भूमि शेष रहती है इसलिए खसरा नम्बर जो सड़क से पूर्वी तरफ 299/135 तादादी 4 बीघा गलत कायम कर राजस्व रिकार्ड वा नक्शा तरमीम कर दिया गया जबकि खसरा नम्बर 299/135 मौके पर 07 बीघा 18 बिश्वा है इसलिए खसरा नम्बर 299/135 का रकबा 07 बीघा 18 बिश्वा कायम किया जाना चाहिए था वा कृषि भूमि खसरा नम्बर 273/135 मौके पर 31 बीघा 02 बिश्वा रोही चलकोई बीकान है इसलिए खसरा नम्बर 273/135 का रकबा 31 बीघा 02 बिश्वा रोही चलकोई बीकान कायम किया जाना चाहिए था। जबकि वास्तविक स्थिति से उलट राजस्व रिकार्ड तैयार किया जाकर राजस्व नक्शा में गलत स्थान पर सड़क का अंकन कर दिया गया जिससे मौके पर वास्तविक स्थिति के विपरीत मौके पर कब्जा वा काश्त को लेकर पक्षकारों के बीच मनमुटाव बना रहता है वा तनाव बना रहता है। जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर खसरा नम्बर 135 की पैमायश की जाकर राजस्व रिकार्ड वा नक्शा कायम किया जाना चाहिए था, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी इस कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 465/396 का खातेदार काश्तकार है जिससे अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा वा सुरक्षा करने बाबत इस नक्शा वा सडक को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने का पूर्ण अधिकार है जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि साबिक खसरा नम्बर 135 तादादी 40 बीघा में से सड़क की भूमि अवाप्ति के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में नक्शा में सड़क का अंकन मौके की स्थिति के विपरीत सही स्थान में नही किया जाकर गलत स्थान पर कर दिया गया जिससे सड़क राजस्व रिकार्ड नक्शा में वादी की खातेदारी कृषि में तरमीम कर दी गई है जो

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

गलत है जिससे पक्षकारों के मध्य हिस्सा कस्सी को लेकर मौके पर विवाद पैदा हो गया है जिस की शिकायत की जाने पर राजस्व कर्मचारी वा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.07.2019 को मौके पर जाकर हल्का पटवारी वा गिरदावर हल्का द्वारा मौके पर जाकर उक्त खसरे की भूमि का पैमायश की गई तथा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई उक्त रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 में भी राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर सड़क की राजस्व रिकार्ड में तरमीम मौके से अलग स्थान पर होना माना है उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रार्थना पत्र हाजा के साथ संलग्न है। यह कि साबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 तादादी 40 बीघा रोही चलकोई बीकान तहसील चूरू का राजस्व रिकार्ड उक्त भूमि में से 1 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 बीघा भूमि अवाप्ति के पश्चात गलत कायम हो गया उक्त राजस्व मौके की स्थिति के मुताबिक वा पटवार हल्का वा गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 के मुताबिक निम्न अनुसार कायम किया जाना चाहिए। कृषि भूमि खसरा नम्बर 299/135 का रकबा 07 बीघा 18 बिश्वा वा कृषि भूमि खसरा नम्बर 273/135 रकबा 31 बीघा 02 बिशवा वा खसरा नम्बर 274/135 तादादी 1 बीघा इस प्रकार से कुल भूमि 40 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड तरमीम कर कायम कर दिया जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि पटवारी हल्का वा गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 वा प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा के मुताबिक राजस्व चूरू से तारानगर जाने वाली मुख्य सड़क नजरी नक्शा वा रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर चालू सड़क जो नजरी नक्शा में बरंग पीला बिन्दू AEF से दर्शाई गई है, से मौके बनायी गई है वा मौके पर सन् 1996 से चालू है जबकि राजस्व रिकार्ड सहवन से बिना पैमायश के नक्शा बिन्दू ABC सड़क का कायम हो गया है जिससे सड़क मार्ग का अंकन प्रार्थी के हिस्से वा पांती के कृषि भूमि खसरा नम्बर 465/396 में से हो गया है जबकि राजस्व रिकार्ड में नक्शा की तरमीम मौके पर चालू सड़क के मुताबिक किया जाना है। मौके के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में सड़क का अंकन होने पर पक्षकार प्रार्थी अपने काश्तकारी अधिकारों का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से कर पायेगा वा मौके पर अनावश्यक झगड़ा फसाद खत्म हो जावेगा तथा अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ प्रार्थी को इस गलत कायम नक्शा का सही अंकन करवाने का अधिकार प्रार्थी को पूर्ण रूप से प्राप्त है, तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि मुख्य सड़क से चिपती हुई पूर्वी तरफ स्थित चली आ रही है नजरी नक्शा में बरंग पीला बिन्दू AEF के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में मौके पर चालू सड़क का अंकन करवाया जाकर प्रविष्टियां दुरूस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र निर्धारित शुदा न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं साबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 रोही चलकोई बीकान में मुख्य सड़क से 01 बीघा भूमि के अवाप्ति के पश्चात गलत रूप से तरमीम राजस्व नक्शा को दुरूस्त किया जाकर मौके पर चालू सड़क के मुताबिक किया जावे वा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा बरंग पीला बिन्दु AEF के मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खींवासर की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 के अनुसार राजस्व नक्शा में मौके के अनुसार सही तरमीम करवाई जावे तथा राजस्व नक्शा में बाद तरमीम साबिक खसरा नम्बर 135 तादादी 40 बीघा भूमि में से 01 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग वा सड़क से

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 273/135 तादादी 35 बीघा के स्थान पर 31 बीघा 02 बिश्वा वा सड़क से पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 299/135 तादादी 4 बीघा का रकबा मौके के अनुसार 7 बीघा 18 बिश्वा किया जावे।

इस प्रकार से वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सड़क से पश्चिमी दिशा के खसरा नम्बर 468/418 तादादी 6.2979 हैक्टयर कृषि भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 468/418 का रकबा 5.3114 हैक्टर वा खसरा नम्बर 397/299 तादादी 0.0253 हैक्टर कृषि भूमि के स्थान पर खसरा नम्बर 397/299 का रकबा 1.0118 हैक्टर रोही चलकोई बीकान राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे एवं मौके के अनुसार वा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत खींवासर की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 वा संलग्न नजरी नक्शा के बिन्दू AEF बरंग पीला के अनुसार नक्शे में सड़क की सही तरमीम करवाया जाने हेतु तहसीलदार साहब चूरू को आदेशित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार, चूरू ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि मद सं. 01 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में मुताबिक दर्ज होने से आप्पति नहीं है। मद सं. 2 प्रार्थना पत्र का संबंध मुझ अप्रार्थी से नहीं है इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 3 प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार चूरू से तारानगर सड़क मार्ग जाने बाबत आपत्ति नहीं है एवं राजस्व रिकार्ड नियमानुसार ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है। मद सं. 4 प्रार्थना पत्र के मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 135 रोही चलकोई बीकान तहसील चूरू में से 1 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग चूरू के द्वारा अवाप्ति किये जाने से आपत्ति नहीं है। जिसके बाद साबिक खसरा नम्बर 135 रोही चलकोई बीकान दो भाग में विभाजित होने से कोई आपत्ति नहीं है। शेष तथ्य की जानकारी नहीं है। मद सं. 5 प्रार्थना पत्र में साबिक खसरा नम्बर 135 रोही चलकोई बीकान तहसील चूरू में से 1 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग चूरू के द्वारा अवाप्ति किये जाने से आपत्ति नहीं है। जिसके बाद साबिक खसरा नम्बर 135 रोही चलकोई बीकान दो भाग में विभाजित होने से कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 135 के अवाप्ति के पश्चात नये खसरा नम्बर 274/135, 273/135 वा 299/135 रोही चलकोई बीकान कायम होने बाबत कोई आपत्ति नहीं है उक्त खसरो में से खसरा नम्बर 274/135 रोही चलकोई बीकान रकबा 1 बीघा सार्वजनिक निर्माण विभाग चूरू द्वारा अवाप्ति के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज चला आने से कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में भी राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 274/135 रकबा 0.2529 हैक्टेयर रोही चलकोई बीकान सार्वजनिक निर्माण विभाग चूरू के नाम से दर्ज चला आ रहा है। शेष तथ्यों की जानकारी के अभाव में अस्वीकार किये जाते हैं।

मद सं. 6 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा आदि अंकन वा तरमीम तात्कालिक राजस्व कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार ही किया गया है तथा पटवार हल्का वा गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 15.07.2019 को मौके

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पर जाकर जो रिपोर्ट पेश की गई है उस बाबत आपप्ति नहीं है। यह कि मद सं. 7 प्रार्थना पत्र में अंकित पटवार हल्का वा गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 15.07.2019 को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है उक्त रिपोर्ट बाबत आपत्ति नहीं है शेष तथ्य प्रार्थी को स्वयं को साबित करने हैं। यह कि मद सं. 8 प्रार्थना पत्र में अंकित रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 वा संलग्न नजरी नक्शा बाबत आपत्ति नहीं है शेष तथ्य अदालतवाला को प्रार्थी को साबित करने हैं जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 09 प्रार्थना पत्र कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। अंतिम मद अनुतोष प्रार्थना पत्र जिसमें प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शा वा रिकार्ड को दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है प्रार्थी को स्वयं साबित करने हैं, उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर 135 रोही चलकोई बीकान जो राजस्व नक्शा वा रिकार्ड तैयार किया गया है राजस्व कर्मचारियों ने नियमानुसार तैयार किया है इसलिए कोई त्रुटि वा दुरूस्त किया जाना है तो उक्त तमाम तथ्य प्रार्थी को अदालतवाला के समक्ष साबित करने हैं तथा इस प्रार्थना पत्र में पटवार हल्का वा गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 का अंकन किया गया है, जिस बाबत आपत्ति नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही प्रार्थना पत्र में की जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चलकोई बीकान के पुराना ख.नं. 135 तादादी 40 बीघा में से दक्षिण से उत्तर चूरू से तारानगर जाने वाली मुख्य सड़क बनी हुई है। उक्त सड़क बनते समय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ख.नं. 135 की 1 बीघा भूमि सड़क हेतु अवाप्त की गई जिससे उक्त खसरा में से सड़क की भूमि का ख.नं. 274/135 तादादी 1 बीघा कायम किया गया तथा शेष भूमि का ख. नं. 273/135 तादादी 39 बीघा कायम किया गया। भूमि अवाप्ति के बाद जब तहसीलदार, चूरू के मार्फत राजस्व अधिकारियों वा कर्मचारियों ने सड़क मार्ग का अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा में किया गया तब नक्शा तरमीम किया जाकर ख.नं. 273/135 को दो भागों विभाजित कर सड़क से पश्चिमी तरफ ख.नं. 273/135 तादादी 35 बीघा एवं सड़क से पूर्वी तरफ ख.नं. 299/135 तादादी 4 बीघा कायम कर नक्शा तरमीम कर दिया गया तथा सड़क का अंकन प्रार्थी के हिस्सा के ख.नं. 465/396 में से हो गया है जो सहवन से मौका स्थिति के विपरीत कायम किया गया है। मौके पर ख.नं. 273/135 का रकबा 35 बीघा की बजाय 31 बीघा 2 विश्वा है तथा ख.नं. 299/135 का रकबा 4 बीघा की बजाय 7 बीघा 18 विश्वा है। उक्त तथ्य की पुष्टि राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 15.07.2019 को मौके पर की गई पैमाईश से भली भांति होती है। इसलिए वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में मौका स्थिति के अनुसार सहवन से हुई उक्त त्रुटि को दुरूस्ती करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें तहसीलदार, चूरू द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त करने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

तहसीलदार, चूरू ने बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.07.19 बाबत कोई आपत्ति नहीं है। अतः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रमाणित प्रतियां जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम चलकोई बीकान के खाता नं. 59 ख.नं. 397/299 तादादी 0.0253 हैक्टेयर व ख.नं. 468/418 तादादी 6.2979 हैक्टेयर कुल तादादी 6.3232 हैक्टेयर है। उक्त भूमि पूर्व खातेदार बुधाराम कामड़िया के वारिसों के नाम खातेदारी में दर्ज है। खाता नं. 157 के ख.नं. 274/135 तादादी 0.2529 हैक्टेयर गै.मु. सड़क वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग पी.डब्ल्यू.डी. चूरू के नाम खातेदारी में दर्ज है। खाता नं. 183 के ख.नं. 465/396 तादादी 0.2466 हैक्टेयर वर्तमान में प्रार्थी किशनसिंह की खातेदारी में अंकित है। नकल नक्शा ग्राम चलकोई बीकान में पीले रंग से मौके पर चालू सड़क दर्शित है एवं लाल स्याही से राजस्व रिकार्ड में अंकित सड़क दर्शित की गई है। नजरी नक्शा जिसमें वर्तमान में चालू सड़क दर्शित की गई है। नकल नामान्तरकरण सं. 309 दिनांक 07.12.10 ग्राम चलकोई बीकान के अनुसार ख.नं. 273/135, 299/135 कुल तादादी 39 बीघा का खाता विभाजन होकर ख.नं. 273/135 तादादी 35 बीघा व ख.नं. 397/299/135 तादादी 2 विश्वा कुल 35.02 बीघा बुधाराम पुत्र रामदास जाति कामड़िया एवं ख.नं. 396/299/135 तादादी 3.18 बीघा शेरसिंह, किशनसिंह, सुमेरसिंह पि. नानूसिंह ब.हि.ब. 3/4 हि. मणीकंवर पत्नी फूलसिंह, करणीसिंह, मंगेजकंवर, राजूकंवर पि. फूलसिंह ब.हि.ब. 1/4 हि. जाति राजपूत नि. चलकोई बणी. के खातेदारी में दर्ज हुई। नकल नक्शा में उक्त विभाजन के बाद अंकित खसरों को दर्शित किया गया है। नकल नामान्तरकरण सं. 124 दिनांक 13.06.96 ग्राम चलकोई बीकान के अनुसार भूमि अवाप्ति के आदेश से ख.नं. 135 तादादी 40 बीघा में से ख.नं. 274/135 तादादी 1 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) चूरू गै.मु. सड़क के नाम दर्ज होकर शेष ख.नं. 273/135 तादादी 39 बीघा पूर्व खातेदारों के नाम दर्ज हुई है। छाया प्रति पत्र कमांक 876 दिनांक 17.04.96 के अनुसार पटवारी पटवार मण्डल चलकोई बणीरोतान को अवाप्तशुदा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने एवं नक्शा में तरमीम करने का आदेश दिया गया है। नकल मुआवजा रजिस्टर के अनुसार ख.नं. 135 की 1 बीघा की मुआवजा राशि तत्कालीन खातेदारों के नाम स्वीकृत होना अंकित है। नकल मौका रिपोर्ट भू-अ.निरीक्षक खींवासर व पटवारी हल्का चलकोई बणीरोतान दिनांक 15.07.19 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू आदेश कमांक प. 12(1)() राजस्व/2019/688 दिनांक 28.06.19 की पालना में ग्राम चलकोई बीकान के ख.नं. 465/396 के मौके पर पहुंच कर खसरे की पैमाईश की गई है जिसमें अंकित है कि इस खसरे का रकबा 0.2466 हैक्टेयर किस्म बारानी है। इस खसरे में आवासीय मकान पक्के व आवासीय कच्चा बाड़ा है जिसमें मौके पर निवास करते हैं एवं इसके अलावा 4 विश्वा भूमि खाली है तथा इसके अलावा उत्तर में ख.नं. 298/134 रकबा 0.0759 हैक्टेयर किस्म गै.मु. जोहड़ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा में मौके पर बनी हुई सड़क एवं राजस्व नक्शा में अंकित सड़क अलग-अलग दर्शित की गई है । नकल पत्र कमाक 688 दिनांक 28.06.2019 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चूरू द्वारा पेट्रोल पम्प भूमि संपरिवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, चूरू से चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्रावली एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.नं. 135 तादादी 40 बीघा रोही ग्राम चलकोई बीकान पूर्व में प्रार्थी के पूर्वज नानूसिंह की खातेदारी की रही है जिसमें से 9/10 हिस्सा भूमि का विक्रय बुधाराम पुत्र रामदास कामड़िया को प्रार्थी के पूर्वजों द्वारा कर दिया गया। वर्ष 1996 में उक्त कृषि भूमि में से 1 बीघा भूमि चूरू से तारानगर जाने वाली सड़क हेतु अवाप्त की गई, जो वर्तमान में विभाग के खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरे में से सड़क गुजरने से यह खसरा तीन भागों में विभाजित होना चाहिए था परन्तु अवाप्ति का नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में इस खसरे को केवल दो भागों में ही विभाजित किया गया है जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण सं. 124 से होती है। तत्पश्चात् उक्त भूल का ज्ञान होने के बाद ख.नं. 273/135 तादादी 35 बीघा के साथ अन्य ख.नं. 299/135 तादादी 4 बीघा दर्ज किया गया है तथा तत्कालीन खातेदारों द्वारा जब खाता विभाजन करवाया गया तब उक्त खसरा नम्बरों के तीन भाग किये जाकर ख.नं. 273/135 तादादी 35 बीघा, ख.नं. 397/299/135 तादादी 2 विश्वा एवं ख.नं. 396/299/135 तादादी 3.18 बीघा कायम हुए हैं। उक्त तथ्यों की पुष्टि नामान्तरकरण सं. 309 से होती है। वादगत कृषि भूमि का वर्तमान में पुनः खाता विभाजन हो चुका है जिससे वर्तमान में प्रार्थी का ख.नं. 465/396 तादादी 0.2466 हैक्टेयर तथा अन्य खातेदारों के 397/299 तादादी 0.0253 व ख.नं. 468/418 तादादी 6.2979 हैक्टेयर खातेदारी का है। प्रश्नगत कृषि भूमि में जब सड़क गुजरी थी तब भूमि अवाप्ति का नामान्तरकरण दर्ज करते समय एवं नक्शा में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राजस्व रिकार्ड एवं मौके के वास्तविक वस्तुस्थिति की जांच एवं पैमाईश कर मौका स्थिति के अनुसार विभाजित खसरों का रकबा दर्ज करना चाहिए था एवं मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही राजस्व नक्शा में तरमीम करनी चाहिए थी जो नहीं की जाकर विभाजित खसरों का रकबा व नक्शा में तरमीम गलत दर्ज कर दी गई जिससे मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्नता हो गई। उक्त तथ्यों की पुष्टि मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.19 से होती है जिसमें चूरू से तारानगर जाने वाली सड़क मौके पर राजस्व रिकार्ड में अंकित सड़क से एकदम अलग हटकर बनी होना एवं मौके पर चालू होना दर्शित की गई है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौका स्थिति के अनुसार सड़क से पूर्व के खसरों का रकबा अधिक दर्ज होना चाहिए था तथा सड़क से पश्चिम के खसरे का रकबा तुलनात्मक रूप से कम दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार सड़क से पश्चिम में स्थित वर्तमान ख.नं. 468/418 तादादी 6.2979 हैक्टेयर का रकबा मौके पर 5.3114 हैक्टेयर एवं ख.नं. 397/299 तादादी 0.0253 का रकबा मौके पर 1.0118 हैक्टेयर मौजूद होना अंकित किया गया है। उक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सड़क बनने के समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका स्थिति की जांच व पैमाईश किये राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत खसरों का रकबा दर्ज कर नक्शा में तरमीम की गई है जो सहवन से हुई लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। प्रार्थी अपने प्रार्थना के माध्यम से उक्त सहवन से हुई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन एवं राजस्व नक्शा में सही रूप से तरमीम करवाना चाहता है। अप्रार्थी तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.19 बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई है। अप्रार्थी ने नियमानुसार कार्यवाही करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का चलकोई बणीरोतान एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, खींवासर द्वारा वादगत कृषि भूमि की मौके पर पैमाईश की गई है तथा बाद जांच व पैमाईश के आधार पर नजरी नक्शा में दर्शित किया है कि राजस्व रिकार्ड व नक्शा में अंकित सड़क मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अलग बनी हुई है तथा वर्तमान में चालू है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ वादगत कृषि भूमि का नजरी नक्शा संलग्न किया है जिसमें राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में अंकित सड़क एवं मौके पर चालू सड़क क्रमशः लाल रंग व पीले रंग से दर्शित की है जिसका मिलान मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.19 से होता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्तमान ख.नं. 468/418 तादादी 6.2979 हैक्टेयर के स्थान पर 5.3114 हैक्टेयर एवं ख.नं. 397/299 तादादी 0.0253 का रकबा के स्थान पर 1.0118 हैक्टेयर करवाना चाहा है जो अन्य खातेदारों के खातेदारी में दर्ज है परन्तु यदि प्रार्थी द्वारा चाहा गया संशोधन किया जाता है तो उक्त खातेदारों की कृषि भूमि के कुल रकबे पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती क्योंकि उक्त दोनों खसरा नम्बरों का रकबा कम व अधिक अवश्य दर्ज होगा परन्तु कुल रकबा यथावत् 6.3232 हैक्टेयर ही दर्ज होना है। उक्त खातेदारों का कुल रकबा यथावत् रहने से इनको कोई हानि होना परिलक्षित नहीं होता बल्कि उक्त खातेदारों का राजस्व अभिलेख सही रूप से दर्ज हो जायेगा जिससे भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों मय नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.19 से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रमाणित होते हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

## आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम चलकोई बीकान तहसील चूरू में स्थित वादगत कृषि भूमि ख.नं. 468/418 का रकबा 6.2979 हैक्टेयर के स्थान पर 5.3114 हैक्टेयर एवं ख.नं. 397/299 का रकबा 0.0253 हैक्टेयर के स्थान पर 1.0118 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अंकित किया जाकर संलग्न नजरी नक्शा के बिन्दु A E F बरंग पीला के अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। भविष्य में नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग माना जावेगा। तहसीलदार, चूरू को उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

( श्वेता कोचर )
उपखण्ड अधिकारी
चूरू